न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 231/2023 GCMS No.–2023/12

मदनलाल चौधरी पुत्र श्री सूरजमल जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम बोयतावाला, तेजाजी की ढाणी, तहसील व जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामू उर्फ रामूलाल पुत्र स्व. मुन्ना जाट
2. भगवान सहाय पुत्र स्व. मुन्ना जाट
   निवासीगण ग्राम बोयतावाला, तेजाजी की ढाणी, तहसील व जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत निवारू, पंचायत समिति झोटवाडा, जयपुर।

...अप्रार्थी/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.12.1983 (संकल्प संख्या 10) मुताबिक पट्टा विलेख मिसल संख्या 9 दिनांक दायरी 07.09.1983 अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा निगरानीकार की ओर से।
2. श्री के.आर.शर्मा गैर निगरानीकार की ओर सें।

निर्णय दिनांकः 31.07.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत निवारू, पं.स. झोटवाडा द्वारा गैर निगरानीकार गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 रामू पुत्र स्व. मुन्ना जाट, भगवान सहाय पुत्र स्व. मुन्ना जाट निवासी ग्राम बोयतावाला, तेजाजी की ढाणी, तहसील व जिला जयपुर के पक्ष में मिसल संख्या 9 जिसके तहत आदेश दिनांक 19.12.1983 द्वारा पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.08.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री के.आर.शर्मा उपस्थित है। मूल पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। विद्धान अधिवक्ता अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

31/7/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्धान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पट्टा विलेख में वर्णित भूमि का ना तो विवरण सहित घोषणा आवंटन जारी की ना ही नियमानुसार नोटिस सार्वजनिक स्थान, मुख्य स्थान पर चस्पा किये जिससे पट्टा विलेख खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा लेने वाले व्यक्ति की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ कोई नजरी नक्शा नाप के साथ पेश नहीं किया गया, सरपंच द्वारा तीन पंचो की कमेटी जांच हेतु भेजी क्योंकि पट्टा विलेख के साथ नक्शे में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी के कहे अनुसार नक्शा बनया वो सही है जबकि मौके पर मिन प्रार्थी के बाडा मकान बने हुए है जिन्हें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वीकार करते है कि तत्कालीन सरपंच ने नियमों की घोर अवहेलना की है जिससे निर्णय मुताबिक पट्टा विलेख खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम

पंचायत को कानूनन 150 वर्गगज का पट्टा देने का अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि पर कोई पुराना कब्जा नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा 301 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया गया जिस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति/जिला कलक्टर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है। तत्कालीन सरपंच ने पट्टा जारी किये जाने में राजकोष को हानि पहुंचायी है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के बाडे के पास आम रास्ता 20 फुट चौडा बोयतावाला से निवारू के लिए जाता था। विपक्षी गण उस रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर गलत नक्शा बनाकर पट्टा जारी करवा लिया है, नक्शे के बोयतावाला से निवारू रास्ता प्रार्थी के कब्जेशुदा व रिहायश मकान से गुजरता है आम जनता आज भी पुराने रास्ते से जो सीधा रास्ता है आते जाते है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे विपक्षी संख्या 1 व 2 के कहे अनुसार नक्शा बना दिया जिससे पट्टा विलेख व निर्णय अवैधानिक व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगरानीकार द्वारा दिनांक 08.05.2023 को निगरानीकार को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की गयी जिस पर निगरानीकार को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुयी। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधि. की धारा 266 की पालना नहीं की गयी। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निवारू, पं.स. झोटवाडा के मिसल संख्या 9 दायर आदेश दिनांक 19.12.1983 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति के आदेश जारी किये है। मौके पर गैर निगरानीकार के मकान बने हुए है एवं विद्युत कनेक्शन भी ह। गैर निगरानीकार के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.1982 को गैर निगरानीकार के कब्जेशुदा भूमि पर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा दोनो भाईयों को शामलाती पट्टा जारी किया गया है। तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना कर पट्टा जारी किया है। निगरानीकार को वर्ष 1983 में पट्टा जारी किया गया है एवं लगभग 40 वर्ष बाद निगरानीकार ने निगरानी पेश की है जो इस बात का द्योतक है कि निगरानीकार ने आपसी रंजिश के चलते निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 के आधार पर जारी की गयी है जबकि प्रश्नगत पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1961 के तहत जारी किया गया है। निगरानीकार ने सारहीन तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

31/7/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत निवारू, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत निवारू द्वारा मिसल संख्या 9 जिसके तहत आदेश दिनांक 19.12.1983 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के हक में संयुक्त रूप निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निहित नहीं की गयी है। प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार के हक में दिनांक 19.12.1983 को पंचायत राज अधिनियम 1961 की धारा 266 पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत ने वार्डपंचगण को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। जिसके कम में वार्डपंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट में किसी वार्डपंचगण के हस्ताक्षर नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा तीन नामजद वार्डपंच की कमेटी का गठन भी नहीं किया। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के आवेदन पत्र अनुसार ग्राम पंचायत से अपनी कब्जेशुदा आबादी भूमि का पट्टा चाहा गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम 266 के तहत पट्टा जारी कर दिया किन्तु प्रकरण में पंचायत राज अधिनियम 1961 की धारा 266 की पूर्ण रूप से पालना किया जाना जाहिर नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही में वार्डपंचगण, कोरम, नक्शा नवीस व सचिव के कही भी हस्ताक्षर नहीं है। पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही में केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। निगरानीधीन पट्टे पर सीमाओं के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित पट्टे की भूमि के पूर्व में गैर निगरानीकार की खातेदारी कृषि भूमि है एवं विवादित भूमि व गैर निगरानीकार की खातेदारी कृषि भूमि के मध्य आम रास्ता है। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि के संबंध में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व पंचायती राज नियमो की अवहेलना किये जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निवारू, पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा मिसल दायर संख्या 9 दायर दिनांक 07.03.1983 एवं फैसला/ आदेश दिनांक 19.12.2023 से गैर निगरानीकार संख्या 1 रामू उर्फ रामूलाल पुत्र स्व. मुन्ना जाट एवं गैर निग0 संख्या 2 भगवान सहाय पुत्र स्व. मुन्ना जाट निवासी ग्राम बोयतावाला तहसील व जिला जयपुर के हक में संयुक्त रूप से जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/7/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर